

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi



शोध (पी-एच0डी0) प्रवेश-सूचना विवरणिका

Ph.D. Entrance-Information Brochure

प्रवेश परीक्षा – सन् 2019

शोध (पी-एच0डी0) प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

- प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन : 18-08-2019 से भरने की तिथि- 17-09-2019 तक
- इलाहाबाद बैंक/एच0डी0एफ0सी0 बैंक/आई.सी.आई.सी.आई. बैंक : की किसी शाखा में पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से एवं इलाहाबाद बैंक के चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 18-09-2019
- प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन : प्रिंट करने की अन्तिम तिथि- 19-09-2019

नोट: अन्तिम तिथि 17-09-2019 के बाद किसी भी दशा में प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जा सकेगा।

शोध (पी-एच0डी0) प्रवेश परीक्षा शुल्क विवरण

1. सामान्य एवं अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों हेतु : ₹0 850/-
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु : ₹0 750/-

नोट:

ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात् प्रवेश परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ई-चालन जनरेट कर उसकी प्रिन्ट आउट निकालने के 04 घण्टे बाद इलाहाबाद बैंक/एच.डी.एफ.सी. बैंक/आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की देश की किसी भी शाखा में चालान अथवा पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से शुल्क जमा किया जा सकता है। चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने के 24 घण्टे के बाद तथा पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से शुल्क के जमा करने के पश्चात् तत्काल विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र अपलोड किया जा सकता है।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
शोध (पी-एच0डी0) प्रवेश परीक्षा
सूचना : वर्ष 2019

सत्र 2019-2020 हेतु अधोलिखित विषयों में शोध (पी-एच0डी0)प्रवेश परीक्षा आयोजित है-

1. शोध विषय, विषय कोड एवं सीट संख्या-

क्रमांक	विषय	विषय कोड	सीट संख्या
1.	अंग्रेजी	701	03
2.	हिन्दी	702	17
3.	संस्कृत	703	12
4.	इतिहास	704	08
5.	प्राचीन इतिहास	705	06
6.	मध्य कालीन एवं आधुनिक इतिहास	706	13
7.	जनसंचार	707	01 (SC)
8.	अर्थशास्त्र	708	25
9.	समाजशास्त्र	709	25
10.	राजनीति विज्ञान	710	20
11.	मनोविज्ञान	711	21
12.	समाजकार्य / आई0आर0पी0एम0	712	48
13.	दर्शनशास्त्र	713	32
14.	वाणिज्य / प्रबन्धशास्त्र	714	42
15.	शिक्षाशास्त्र	715	08
16.	शारीरिक शिक्षा	716	09
17.	विधि	717	04
18.	मंचकला	718	03
19.	भूगोल	719	10
20.	रसायन विज्ञान	720	31
21.	भौतिक विज्ञान	721	35
22.	गणित	722	20
23.	सांख्यिकी	723	17
24.	प्राणी विज्ञान	724	23
25.	वनस्पति विज्ञान	725	30
26.	गृह विज्ञान	726	05
27.	कम्प्यूटर साइंस	727	08

28.	पशु पालन एवं दुग्ध उत्पाद	728	12
29.	कृषि- कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी	729	24
30.	कृषि उद्यान	730	10
31.	कृषि रसायन	731	09

नोट:

1. उपर्युक्त सीट संख्या में परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।

शोध के लिए अर्हता (Eligibility Conditions for Research):

- (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग आवेदकों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत) अंक के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी-एचडी उपाधि के लिए शोध प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्थायी शिक्षक (परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायीकरण के उपरान्त) लिखित प्रवेश परीक्षा से मुक्त होंगे किन्तु उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। समय विस्तार के मामले में नियमित शोधार्थियों के लिए निर्दिष्ट नियम ही इनके लिए भी प्रभावी होगा।
- (ग) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने U.G.C., CSIR इत्यादि की J.R.F., NET एवं समकक्ष GATE, अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है वे विश्वविद्यालय की लिखित प्रवेश परीक्षा से मुक्त होंगे।

2. शोध प्रवेश परीक्षा (Process of Research Entrance Test):

1. लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होंगे जिसमें दो प्रश्न पत्र होंगे।
प्रथम प्रश्न पत्र – इसमें 01-01 नम्बर के 100 प्रश्न होंगे जिसके जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक एप्टीट्यूड तथा सम्बन्धित विषय पर आधारित होंगे जिसका समय दो घण्टे निर्धारित होगा।
द्वितीय प्रश्न पत्र – इसमें 200 नम्बर के 200 प्रश्न होंगे जो सम्बन्धित विषय तथा रिसर्च एप्टीट्यूड पर आधारित होंगे। इसमें कोई नकारात्मक(Negative) मार्किंग नहीं होगी।
2. परीक्षा का संचालन विश्वविद्यालय कैम्पस में ही होगा। विशेष परिस्थिति में यदि विश्वविद्यालय में पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध न हो तो राजकीय महाविद्यालय को इसका केन्द्र बनाया जा सकता है।
3. परीक्षा में प्रत्येक पेपर में 40% अंक पाना अनिवार्य होगा किन्तु दोनों प्रश्न पत्रों के पूर्णांक का 50% अंक क्वालिफाइन होगा।
 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग तथा दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को कुल प्राप्तांक में और प्रत्येक पेपर में 05 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।
4. प्रवेश परीक्षा के पश्चात् उच्च प्राप्तांक से अवरोही क्रम में आवश्यकतानुसार अभ्यर्थियों की 20 अंकों की मौखिक परीक्षा होगी जिसमें 10 अंक शैक्षणिक अभिलेख तथा 10 अंक मौखिकी के लिए होंगे।

प्रवेश परीक्षा तथा मौखिकी के अंको को जोड़कर सफल अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जायेगी और इसी क्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय है।

5. परीक्षा परिणाम को वर्गवार एवं मेरिटवार सूची तैयार करके विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा इसकी सूचना ई-मेल तथा हार्ड कॉपी के द्वारा सूचना प्रदान की जायेगी।

4. प्रवेश परीक्षा से छूट (Exemption From Entrance Test)

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पी-एच0डी0 में प्रवेश के लिए CET परीक्षा से छूट होगी:-

1. नियमित अध्यापक जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज में पढ़ा रहे हों और अपना परीविक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हों।
2. विदेशी अभ्यर्थी (एन0आर0आई0 सहित) जो समय समय पर केन्द्र सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश, शुल्क आदि सम्बन्धी बनाये गये नियमों एवं शर्तों से प्रभावित होते हैं।
3. वे सभी अभ्यर्थी जिनका चयन जे0आर0एफ0/सी0एस0आई0 आर0/आईसी0ए0आर0 या भारत सरकार की किसी अन्य केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा फेलोशिप हेतु किया गया है या फेलोशिप के नियम को पूर्ण करते हैं।
4. जिन अभ्यर्थियों ने GATE की परीक्षा में कम से कम 75 % अंक प्राप्त किये हों।
5. नेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी प्रवेश परीक्षा से छूट होगी।

5. आवेदन पत्र (Research Entrance Test):

1. प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट-www.mgkvp.ac.in पर दिये गये समस्त निर्देशों को भलीभांति पढ़कर उसका पालन करते हुए आवेदन-पत्र में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक भरें, की गई किसी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तर दायी होंगे।
2. प्रत्येक संवर्ग (श्रेणी) के लिए कोड निर्धारित किये गये हैं। निर्देशानुसार आवेदन-पत्र को सावधानी के साथ भरा जाना चाहिए। इसमें की गई त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व नवीनतम खिंचवाई गई स्पष्ट फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपने पास पेनड्राइव/सी0डी0 में सुरक्षित रख लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी।
4. यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश हेतु दो विषयों की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र भरना होगा। ऐसी दशा में उसे पहले ही प्रवेश परीक्षा की समय-सारिणी देखकर आवेदन करना चाहिए क्योंकि यदि दोनों विषयों की प्रवेश परीक्षा एक ही तिथि पर एक ही समय में आयोजित होती है तो प्रवेशार्थी की सुविधा के लिए समय-सारिणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में न तो वापस किया जायेगा और न ही अन्य पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित किया जायेगा।
6. प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट-www.mgkvp.ac.in से परीक्षा के 03 दिवस पूर्व डाउनलोड किया जा सकेगा।
7. प्रवेश लेते समय अभ्यर्थी को प्रवजन प्रमाण-पत्र तथा एक शपथ-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।
8. यदि एक स्थान रिक्त हो और दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा में समान अंक हों तो अर्हकारी परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।

9. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित अथवा मोबाइल मैसेज द्वारा अथवा पत्र द्वारा सूचित तिथि एवं समय पर अभ्यर्थी को काउंसिलिंग हेतु समन्वयक प्रवेश काउंसिलिंग विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष से सम्पर्क करना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशन के समय यदि कोई मुद्रण त्रुटि हो जाती है तो इसके आधार पर अभ्यर्थी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। प्रवेश के लिए सूचित तिथि एवं समय पर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं निर्धारित शुल्क सहित उपस्थित न होने पर चयनित अभ्यर्थी का प्रवेशाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।
10. यदि भूल से किसी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है और उसे प्रवेश-पत्र निर्गत कर दिया जाता है, जिसे प्रवेश परीक्षा में बैठने का अधिकार न हो अथवा वह अर्ह न हो अथवा किसी अन्य कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र न हो तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह उसकी परीक्षा में बैठने की अनुमति अथवा उसके परीक्षाफल को निरस्त कर दे।
11. काउंसिलिंग के समय अर्हकारी परीक्षा की उत्तीर्णता का अंकपत्र तथा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. शोधार्थियों हेतु समय-समय पर विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा संशोधित नियम, परिनियम लागू होंगे।

6. आरक्षण (Reservation)

1. **आरक्षण संवर्ग**—प्रवेश के समय राज्य सरकार की अद्यतन नीति के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति /आर्थिक रूप से कमजोर सर्वर्ण के लिए आरक्षण देय होगा। इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र में यथा स्थान अधोलिखित तालिका को देखकर संवर्ग के साथ ही संवर्ग कोड लिखना अनिवार्य होगा। प्रवेश हेतु चुने गये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **अन्य पिछड़े वर्ग के लिये उ0प्र0 सरकार के शासनादेश के अनुसार निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।**

- आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों। महिला अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम से निर्गत होना आवश्यक है। पति का नाम अंकित होने पर मान्य नहीं होगा।

तालिका/ Table

संवर्ग	कोड संख्या	संवर्ग	कोड संख्या
सामान्य	01	अनुसूचित जाति	03
अन्य पिछड़ी जातियाँ	02	अनुसूचित जनजाति	04
आर्थिक रूप से कमजोर (सर्वर्ण)	05		

क्षैतिज आरक्षण/(Horizontal Reservation)

2. (क) दिव्यांग अभ्यर्थियों की सभी श्रेणियों (दृष्टिहीन/कम दृष्टि, श्रवण हास एवं पालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगाघात) के लिये कुल 05 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित होंगे।

(ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए कुल 02 प्रतिशत तथा सैनिक/भूतपूर्व सैनिक/जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिक अथवा अर्द्धसैनिक आश्रित अथवा जम्मू कश्मीर से विस्थापित नागरिकों के आश्रितों के लिए कुल 05 प्रतिशत सीट सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

- (ग) महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्थायी कर्मियों (शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक) के आश्रितों (यथा—पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री) के लिए 5—5 प्रतिशत स्थान (कुल 10 प्रतिशत स्थान) सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित हैं।
- (घ) महिला अभ्यर्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। महिलाओं के कुल आरक्षित सीट संख्या में से 02 प्रतिशत सीट विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

तालिका/ Table

अन्य आश्रित संवर्ग	कोड	अन्य आश्रित संवर्ग	कोड	
भूतपूर्व सैनिक आश्रित	05	दिव्यांग अभ्यर्थी	दृष्टिहीन/कम दृष्टि	11 A
कार्यरत सैनिक आश्रित	06		श्रवण ह्रास	11 B
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	07		पालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात	11 C
जम्मू/कश्मीर में तैनात अर्द्धसैनिक के आश्रित	08	विश्वविद्यालय (म0गां0का0वि0पी0) के पूर्णकालिक अध्यापक आश्रित		12
जम्मू/कश्मीर से विस्थापित के आश्रित	09	विश्वविद्यालय (म0गां0का0वि0पी0) के पूर्णकालिक कर्मचारी आश्रित		13
महिला	10	विधवा/तलाकशुदा (महिला)		14

नोट: दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण उनकी विकलांगता का परीक्षण करने के उपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा तभी उन्हें उक्त लाभ प्राप्त हो सकेगा।

7. शोध पंजीकरण प्रक्रिया (Research Registration Process):

- (क) शोध प्रवेश परीक्षा फल घोषित होने के पश्चात् सफल अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाणपत्रों के साथ आवश्यक सत्यापन हेतु विभागाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होगा। सत्यापन के पश्चात् विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर शोध अनुभाग द्वारा शोध प्रवेश शुल्क (कोर्स वर्क) जमा करने हेतु अनुमति पत्र जारी किया जायेगा।
- (ख) प्रवेश की अनुमति प्राप्त होने पर अभ्यर्थी निर्धारित शोध शुल्क जमा करेगा। यदि अभ्यर्थी यह शुल्क प्रवेश की अनुमति प्राप्ति के तीन सप्ताह के भीतर जमा कर देता है तो उसका पंजीकरण हो जायेगा और शुल्क जमा करने की तिथि से वह पंजीकृत माना जायेगा। उक्त अवधि के अन्दर यदि शोधार्थी शुल्क जमा नहीं करता है तो उसके प्रवेश की अनुमति स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा मेधा सूची में उसके बाद के स्थान पर निर्दिष्ट छात्र को मौका दिया जायेगा।
- (ग) शोध प्रवेश शुल्क जमा करने एवं पंजीकरण के पश्चात् विद्यार्थी **कोर्स वर्क के लिए अधिकृत हो जायेगा और वह** अपना शोध प्रारूप सम्बन्धित विषय की शोध समिति की बैठक में **स्वीकृति हेतु** निर्देशक की संस्तुति के साथ निर्धारित आवेदन पत्र पर वांछित विवरणों के साथ 10 प्रतियों में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। शोध प्रारूप में विषय-वस्तु साहित्य समीक्षा, उद्देश्य, परिकल्पनाएँ, शोध-विधि, शोध योजना एवं शोध का शैक्षिक महत्त्व आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। शोध समिति की बैठक की सूचना के साथ सम्बन्धित सदस्यों को शोध प्रारूप की प्रति हस्तगत करा दी जायेगी।
- (घ) शोध समिति पी-एच0डी0 उपाधि के लिए शोध छात्रों के आवेदन पत्र पर विचार करेगी। वही विषय के प्रारूप पर भी विचार करेगी और समिति अभ्यर्थियों के शोध विषय पर विचार करने के बाद उन्हें यथावत् अथवा संशोधित रूप में स्वीकृत कर सकती है। सामान्यतया एक

सप्ताह के अन्दर विभागाध्यक्ष द्वारा समिति का कार्यवृत्त स्वीकृत आवेदन पत्रों के साथ शोध अनुभाग को प्रेषित कर दिया जायेगा। शोध शीर्षक स्वीकृत होने के पश्चात् शोध अनुभाग द्वारा जमा करने हेतु अनुमति पत्र निर्गत किया जायेगा।

(ड) शोध कोर्स वर्क 6 माह के लिए अलग शपत्र पत्र देना होगा (सेवारत अभ्यर्थियों को छः माह का अवकाश सम्बन्धी प्रमाण-पत्र पूर्व में प्रस्तुत करना पड़ेगा) सभी प्रमाण पत्र विभाग में जमा होंगे।

(च) शोध समिति के पश्चात् शुल्क करने के पूर्व विभाग में शपथ पत्र जमा करना होगा। सेवारत अभ्यर्थी का अवकाश सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. कोर्सवर्क सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

1. विश्वविद्यालय/संस्थान/निदेशक/प्राचार्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन विषयों के पी-एच0 डी0 कोर्सवर्क का संचालन उनके अध्ययन केन्द्र पर किया जाना है, उन विषयों से सम्बन्धित शिक्षकों की कोर्सवर्क के सुचारु संचालन में संलग्नता उनका अकादमिक कर्तव्य माना जायेगा।
2. विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय में स्थापित अध्ययन केन्द्र के कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी समय-सारिणी और कार्य-योजना के अनुरूप सम्बन्धित विषय के विभाग प्रभारी/विभागाध्यक्ष द्वारा कक्षाओं एवं अन्य गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में भी कक्षाएँ संचालित की जा सकती हैं। जिन दिनों कक्षाएँ संचालित होंगी, उन दिनों को सम्बन्धित शोधार्थी को उपस्थिति पंजिका पर प्रत्येक कालांश में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
4. कम्प्यूटर/प्रयोगशाला और पुस्तकालय की उपस्थिति पंजिका पर उक्त अवधि में शोधार्थियों को हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।
5. प्रत्येक अवधि के लिए अलग-अलग उपस्थिति पंजिकाएँ तैयार की जायेंगी।
6. प्रत्येक विषय के विभाग प्रभारी/विभागाध्यक्ष उपस्थिति पंजिका को अपने हस्ताक्षर से सत्यापित करके अध्ययन केन्द्र समन्वयक को प्राप्त करायेंगे, जिसे प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराके प्रत्येक माह विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

कोर्स वर्क (Course Work)

- 6.01. कोर्स वर्क की फीस के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी को 15000/ (पन्द्रह हजार मात्र) भुगतान करने होंगे। अनु0जाति/अनु0जनजाति के लिए यह फीस 5000/ (पाँच हजार मात्र) निर्धारित है। अंशकालिक (Part time) अभ्यर्थी को रू0 45000/- (पैंतालिस हजार मात्र) शोध कोर्स वर्क, सम्मीशन मूल्यांकन आदि का शुल्क जमा करना होगा।
- 6.02. सभी प्रवेशित छात्र (प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त छात्र भी) को कम से कम छः माह का कोर्स वर्क करना आवश्यक होगा(कार्यरत संस्था से अवकाश लने के बाद)।
- 6.03. छः माह के कोर्स को शोध (पी-एच0डी0) की तैयारी माना जायेगा जिसमें रिसर्च मैथडोलॉजी, क्वांटिटेटिव मैथड्स, कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स एवं शोध से सम्बन्धित क्षेत्र में प्रकाशित पुस्तकों के पुनरीक्षण की तैयारी करायी जायेगी।
- 6.04. विभागाध्यक्ष द्वारा कोर्स वर्क की समय सारणी, अध्ययन-अध्यापन, निरन्तर मूल्यांकन तथा आन्तरिक परीक्षाओं की व्यवस्था की जायेगी। विभागाध्यक्ष द्वारा कोर्स वर्क का पाठ्यक्रम विभागीय समिति व अध्ययन समिति की सहायता से तैयार किया जायेगा।

- 6.05.** कोर्स वर्क की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र के सभी कक्षाओं में (लिखित एवं प्रायोगिक) न्यूनतम् 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य हैं यदि किसी विद्यार्थी की बीमारी के कारण, खेलकूद या अन्य गतिविधियों में भाग लेने की वजह से उपस्थिति कम रह गयी है तब निम्नलिखित नियम लागू होंगे :-
- 5 प्रतिशत तक की कम उपस्थिति को संयोजक/विभागाध्यक्ष/निदेशक द्वारा छूट दिया जा सकता है, अधिकतम 10 प्रतिशत तक की कम उपस्थिति को संयोजक/विभागाध्यक्ष/निदेशक की संस्तुति पर कुलपति द्वारा छूट दिया जा सकता है। इस छूट के बावजूद न्यूनतम् 65 प्रतिशत उपस्थिति का होना अनिवार्य है।
- 6.06.** विश्वविद्यालय की दूसरी परीक्षाओं के साथ विभागाध्यक्ष/निदेशक के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय द्वारा कोर्स वर्क की क्वालिफाइंग परीक्षा करायी जायेगी। आन्तरिक मूल्यांकन सहित कोर्स वर्क परीक्षा में पास होने के लिए (सभी विद्यार्थियों के लिए) प्रत्येक पेपर और पूर्णांक में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
- 6.07.** यदि कोई विद्यार्थी कोर्स वर्क में फेल हो जाता है तो उसे अगले बैच के साथ कोर्स वर्क परीक्षा पास करने का एक और अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा।
7. प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप ही कोर्सवर्क का संचालन किया जायेगा।
8. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक अध्ययन केन्द्र को कोर्सवर्क का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जायेगा।
9. सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष/संयोजक (आर० डी० सी०) द्वारा अनुमोदित समय-सारिणी, अध्यापन सम्बन्धी निर्देशों, आन्तरिक परीक्षण, अधिन्यास तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप कोर्सवर्क का संचालन किया जायेगा।
10. व्याख्यान हेतु बुलाये जाने वाले विशेषज्ञों की सूची सम्बन्धित विषय के विभाग प्रभारी/विभागाध्यक्ष केन्द्र समन्वयक को उपलब्ध करायेंगे।
11. प्रत्येक केन्द्र पर कोर्सवर्क संचालन सम्बन्धी पर्यवेक्षण विभागाध्यक्ष/संयोजक (आर०डी०सी०), सम्बन्धित विषय के संकायाध्यक्ष एवं माननीय कुलपति द्वारा नामित अधिकारी/शिक्षक/कमेटी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. केन्द्र संचालन सम्बन्धी समस्त आवश्यक प्रपत्रों का नमूना विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- 13. समय-समय पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित नियम शोधार्थियों पर लागू होंगे।**
